

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2013/ज्येष्ठ 28, 1935

No. 293]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2013/JYAISTHA 28, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

सा.का.नि. 378(अ).—जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि औषध एनलजीन और एनलजीन युक्त सभी फार्मूलेशनों के उपयोग से मानव के लिए खतरा होने की संभावना है और जबकि उक्त औषध के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है;

और जबकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में जनहित में इस औषध की बिक्री के लिए उत्पादन, बिक्री और संवितरण पर रोक लगाकर विनियमित करना अनिवार्य और उचित है;

अतः, अब, केंद्र सरकार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित औषध की बिक्री हेतु उत्पादन, बिक्री और संवितरण पर एतद्वारा रोक लगाती है:

“मानव सेवन के लिए एनलजीन और एनलजीन युक्त सभी फार्मूलेशन।”

[फा. सं. 4-01/2011-डीसी/एनलजीन]

अरूण कु. पण्डा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2013

**G.S.R. 378(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug Analgin and all formulations containing Analgin is likely to involve risk to human beings and whereas safer alternatives to the said drug are available.

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to regulate by way of suspension of manufacture for sale, sale and distribution of the drug in the country in public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby suspends the manufacture for sale, sale and distribution of the following drug with immediate effect:—

“ Analgin and all formulations containing Analgin for human use. ”

[F. No. 4-01/2011-DC/Analgin]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.